फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

भीवाराम बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0

0 :– 182/2024

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी बहस प्रा0पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.04.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	
.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.5000है0 वाके ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.5000है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार आपत्ति करता है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद मूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	